प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः बे0शि0प0 / 8816-8896 /2025–26, दिनांक– 22-7-2025

विषयः–बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के शैक्षिक सत्र 2025–26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–68–5099 / 138 / 2023–अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा)I / 971264 / 2025, दिनांक 23 मई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 2025–26 में स्वेच्छा से अन्तः स्थानान्तरण एवं समायोजन जनपद में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का तर्कसंगत परिनियोजन (Rational Deployment) हेतु निर्गत नीति के क्रम में कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.06.2025 को पूर्ण की गयी थी, जिसमें पोर्टल पर चिन्हित अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत कतिपय प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से विकल्प नही दिया गया था।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समय सारिणी एवं तकनीकि चरण के अनुसार पोर्टल पर चिन्हित आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत अधिक प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की कार्यवाही निम्नवत् सम्पादित की जायेगीः–

1– अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा किया जायेगा–

1– जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट–	अध्यक्ष
2– मुख्य विकास अधिकारी–	सदस्य
3– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–	सदस्य
4– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–	सदस्य सचिव

2– अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की जायेगी।

3– यू–डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4– अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में ही किया जायेगा।

5– आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिह्नित प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक द्वारा स्वेच्छा से लिए गये ऑनलाइन विकल्प के आधार पर आवश्यकता वाले विद्यालय में उनके सवंर्ग एवं पद पर ऑनलाइन स्थानान्तरित एवं समायोजित किया जायेगा।

6– आवश्यकता से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका वाले चिन्हित विद्यालय में से किसी भी प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक द्वारा स्वेच्छा से अधिकतम 25 अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का विकल्प लिया जा सकेगा।

7– शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

8– अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की समस्त कार्यवाही निर्गत नीति के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी की गयी समय सारिणी एवं तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी:–

1– अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दिया जायेगा। प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे विद्यालयों में से कम से कम एक जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे ऑनलाइन आवेदन जिनमें विकल्प नही भरा जायेगा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

2– आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित विद्यालयों में से कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक द्वारा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित विद्यालय से उस सीमा तक स्थानान्तरित किये जायेंगे जिस सीमा तक छात्र–शिक्षक अनुपात में विचलन न हो।

3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जनपद में वरीष्ठता (जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से) के आधार पर वरीयता क्रम में दिये गये अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर पदवार एवं संवर्गवार ऑनलाइन अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

4– शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा।

5– विद्यालय से स्थानान्तरित होने वाले एवं विद्यालय में स्थानान्तरित होकर आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या वैकेन्सी मैट्रिस से अधिक नही होगी।

6– कार्यरत जनपद में नियुक्ति की तिथि सामान होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को वरीयता दी जायेगी तथा आयु भी सामान होने पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।

7– शिक्षक एवं शिक्षिका की वरीष्ठता के आधार पर उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए विद्यालय के विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष स्थानान्तरित किया जायेगा।

8–समय सारिणी:–

क्र0सं0	कार्यवाही	दिनांक
1	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मान मानकों के आधार पर छात्र–शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाना	दिनांक 23.07.2025 तक
2	शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना	दिनांक 24.07.2025 से दिनांक 27.07.2025 तक
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही किया जाना	दिनांक 28.07.2025
4	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्मय से स्थानान्तरण की कार्यवाही करते हुए सूची निर्गत किया जाना	दिनांक 30.07.2025

9– प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक द्वारा स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के उपरान्त सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के विवरण को अपडेट किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

22.7.25

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

पृ0सं0/बे0शि0प0/ 8816-8896 /2025–26, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

3– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।

4– समस्त, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ।

22.7.25
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।